कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी,एवं भू–अर्जन अधिकारी, खण्डवा

खण्डवा, दिनांक– 2.7.2018

क्रमांक– /री –2/भू. अ./2018

प्रति,

नियंत्रक
केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय– ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013'' की **धारा–11 अतंर्गत प्रारंभिक अधिसूचना** का राजपत्र मे प्रकाशन होने बाबत्। प्रकरण कमांक 0018/अ–82/17–18 ग्राम मालीपुरा तहसील खण्डवा

––00––

''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013'' की **धारा–11 अतंर्गत प्रारंभिक अधिसूचना** का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग–1 मे होना हैं। कलेक्टर एवं समुचित सरकार, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित **धारा–11 अतंर्गत प्रारंभिक अधिसूचना** की दो–दो प्रतियां (एक मूल प्रति एवं फोटोप्रति) आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र मे शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

(संजीव केशव पाण्डेय)
अनुविभागीय अधिकारी,एवं
भू–अर्जन–अधिकारी खण्डवा

खण्डवा, दिनांक– 2.7.2018

पृ.क्रमांक– /री –2/भू. अ./2018 1755

प्रतिलिपि–

1. संचालक, जन संपर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल की ओर **धारा–11 अतंर्गत प्रारंभिक अधिसूचना** की चार–चार प्रतिय भेजकर निवेदन है कि, कृपया इस क्षेत्र मे पढे जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रो मे इनका प्रकाश करवाकर इसकी एक–एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
2. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेल्वे **इन्दौर** की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा गजट प्रकाशन प्रति एवं दो समाचार पत्र प्रकाशन प्रतियां संकलित कर इस कार्यालय को उपलब्ध करावे । समाचार पत्र प्रकाशन व्यय रेल्वे विभाग व्दारा वहन किया जावेगा ।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर, कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित **धारा–11 अतंर्गत प्रारंभिक अधिसूचना** को जिले की वेबसाईट पर **अपलोड** करने का कष्ट करे।
4. तहसीलदार **खण्डवा** की ओर 6–6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक–एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस में वापसी भिजवाने की व्यवस्था करें

1. कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड 2. उप–खण्ड मजिस्ट्रेट खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर
3. तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड 4. नगर पालिक निगम खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर 5. ग्राम मालीपरा की चौपाल पर

(संजीव केशव पाण्डेय)
अनुविभागीय अधिकारी,एवं
भू–अर्जन–अधिकारी खण्डवा

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती कं. /एल. ए./ /2018

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक–18 /अ–82/17–18 खण्डवा, दिनांक 28-06-2018

//धारा 11–प्रारंभिक अधिसूचना//

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) मे उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सभावना है। अतः 'भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यपस्थापन मे उचित प्रतिकर अधिनियम 2013'' की धारा **11** (1) उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनूसूची के खाने (5) मे उल्लेखित अधिकारियो को उक्त भूमि के संबंध मे धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित **खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन (गेज कनवर्जन) के साथ न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य** की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा –4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छुट प्रदान की गयी है। इस कारण से धारा– 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

//अनुसूची//

भूमि का वर्णन				धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सर्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		
01	02	03	04	05	06
खण्डवा	खण्डवा	मालीपुरा	0.280 हे0	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण)पश्चिम रेल्वे इन्दौर	**खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन (गेज कनवर्जन) के साथ न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य**

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/ उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय मे किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विशेष गढ़पाले)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
जिला– खण्डवा